# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 394/2025**

उमेश चन्द **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, जन संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन), जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 16.01.2025
**आदेश की दिनांक** : 17.02.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पंचायत समिति नदबई, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति नदबई, भरतपुर से जल संसाधन उपखण्ड, उनियारा, टोंक में स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी नदबई, भरतपुर के विकास अधिकारी के अधीन कार्यरत है तथा उसके नियंत्रण मे है जो कि पंचायतीराज विभाग है (अनुलग्नक–2)। प्रत्यर्थी विभाग ने पंचायतीराज विभाग की सहमति के बिना ही स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया। उन्होंने स्थानांतरण आदेश की प्रति पंचायतीराज विभाग को भी नहीं भेजी है। यह इस बात का सबूत है कि स्थानांतरण आदेश बिना सोचे–समझे और पंचायतीराज विभाग से सहमति लिए बिना ही जारी किया गया। आलौच्य आदेश में केवल इतना ही लिखा है कि सक्षम स्तर के अनुमोदन से जारी है। जो पर्याप्त नहीं है इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 16.12.2021, 01.09.2003 एवं 11.09.2003 अनुलग्नक–3 एवं 4 पर प्रस्तुत है। जल संसाधन विभाग तालाब और बांध को पंचायतीराज विभाग को हस्तांतरित करता है, जिसका क्षेत्रफल 80 से 300 हेक्टेयर है और पंचायतीराज विभाग को कर्मचारी भी उपलब्ध कराता है। अपीलार्थी का वर्तमान में पदस्थापन नदबई में है और वह ऐसे तालाब और बांध पर ड्यूटी करता है जो पंचायतीराज विभाग के नियंत्रण में है। अपीलार्थी की माता वरिष्ठ नागरिक हैं और रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से पीड़ित हैं, जिसका उपचार सोनी

अस्पताल जयपुर में न्यूरो सर्जरी विभाग में डॉ. नीरज नागरवाल के अधीन चल रहा है और अपीलार्थी ही अपनी मां की चौबीसों घंटे देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति है (अनुलग्नक–5)। प्रत्यर्थी विभाग ने बिना विवेक का प्रयोग किए तथा तथ्यों की जांच किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया, जो अवैध एवं अनुचित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यथ्री विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ पंचायत समिति नदबई, भरतपुर में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति नदबई, भरतपुर से जल संसाधन उपखण्ड, उनियारा, टोंक में किया गया है। अपीलार्थी कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर जल संसाधन विभाग में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन) कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जयपुर द्वारा जारी किया गया है। आलौच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। आलौच्य आदेश अपीलार्थी के मूल विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

आलौच्य आदेश में हम कोई नियमों का उल्लंघन अथवा दुर्भावना नहीं पाते है। आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत जारी किया जाना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**